न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रार्थना पत्र मुन्त0/06/2025

हैमसिंह पुत्र हुब्बलाल जाति जाट निवासी ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
.....प्रार्थी0

बनाम

1–आस्था सिंह पत्नी विजयसिंह जाति जाट निवासी अनिरुद्ध नगर भरतपुर हाल निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

2–गुटयारी उर्फ मोहनसिंह
3–मिटठूसिंह
4–राजेन्द्रसिंह
} पुत्रगण हुब्बलाल

5–पप्पी
6–बलवीरी
7–श्यामो
} पुत्रीयान हुब्बलाल

जाति जाट निवासी ग्राम बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर

8– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बावत उनवानी प्रार्थना पत्र आस्थासिंह वनाम गुटयारी वगेरा प्रकरण सं. 10/2023 न्यायालय एस.डी.ओ. नदबई से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत।

———

उपस्थितः–
1–श्री रुपेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री मोहनसिंह राना, अभिभाषक अप्रार्थी ,

निर्णय **दिनांक 06.08.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी. इस आश्य का पेश किया गया है जो संक्षेप में इस प्रकार है। अप्रार्थीया संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में प्रार्थी के विरुद्ध पेश कर रखा है। अप्रार्थीया संख्या– 1 के ससुर ए.एस.पी. है तथा श्री गंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई को अपने प्रभाव में लेकर अपने मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र का निर्णय अपने हक में कराने की फिराक में हैं। अप्रार्थीया के ससूर को कई बार एस.डी.ओ. नदबई के कार्यालय में आते जाते देखा गया है। अप्रार्थीया संख्या– 3 कहती है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है, प्रार्थना पत्र का फैसला उनके हक में होगा। इसलिए प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। एस.डी.ओ. नदबई के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर एस.डी.ओ. नदबई से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर.टी.एक्ट का न्यायालय एस.डी.ओ. नदबई में विचाराधीन है। अप्रार्थीया संख्या– 1 के ससुर ए.एस.पी. है तथा श्री गंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई को अपने प्रभाव में लेकर अपने मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र का निर्णय अपने हक में कराने की फिराक में हैं। अप्रार्थीया के ससुर को कई बार एस.डी.ओ. नदबई के कार्यालय में आते जाते देखा गया है। अप्रार्थीया संख्या– 3 ने धमकी दी है कि उनकी पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है, प्रार्थना पत्र का फैसला उनके हक में होगा। इसलिए प्रार्थी को उक्त पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना एस.डी.ओ. नदबई से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि एस.डी.ओ. नदबई के न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आरटी एक्ट को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे ताकि हमें न्याय मिल सके।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अप्रार्थीया के ससुर ए.एस.पी थे, जो दिनांक 31.7.2024 को सेवानिवृत हो चुके हैं, अप्रार्थीया के ससुर कभी भी एस.डी.ओ. नदबई कार्यालय में नहीं आये हैं और ना ही एस.डी.ओ.से कोई बातचीत हुई है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी ने गलत झूठे तथ्य अंकित किये हैं, प्रार्थी का मकसद सिर्फ एस.डी.ओ. नदबई में विचाराधीन प्रकरण को निर्णय नहीं होने देना तथा देरीना करने की गरज से लगाया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक कथनों/आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों की पुष्टी होती हो। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी में भी प्रार्थी के आरोपों को मनगढत झूठा होना बताया गया है, उपखण्ड अधिकारी नदबई का कथन है कि प्रकरण में तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट तलब की जा रही है। इस प्रकार स्पष्ट आया कि एस.डी.ओ. नदबई के यहॉ विचाराधीन प्रकरण प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.एक्ट का विचाराधीन है जिसमें पीठासीन अधिकारी नदबई द्वारा विधिवत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली बिना किसी ठोस आधार बिना किसी साक्ष्य के केवल शंका के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो काबिल खारिज के रहता है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय – आर0आर0टी0 2012 (1) पेज 437 :– में प्रतिपादित किया है:–

> Rajasthan Tencancy Act 1995 Sec. 233 Transfer petition-No hurriedness shown by the presiding officer- Application of non-petitioners for appointing commisssioner dismissed by the Court- No proof produced in support of allegations & the allegations levelled are of common nature- No affidavit of indeperndent witness produced - Application is filed with presumption & appreshension- Held' Transfer Petition is unfounded & liable to be rejected

अस्तु प्रार्थना पत्र मुन्तकिली काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6.08.2025 सरे ईजलास को सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर